न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 03/2024

प्रार्थीया :- कुरजा पत्नी श्री लक्ष्मण राम, आयु 55 वर्ष, जाति बावरी, निवासी चौकीदारों का बास, ग्राम बिनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. भीखाराम पुत्र श्री रामूराम, जाति राईका, निवासी ग्राम बिनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- प्रार्थीया - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 - श्री डी.डी. रामावत एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2- सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :- 05/05/26

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 365/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर आयी हुयी है जो प्रार्थी की खातेदारीसुदा व कब्जा काष्तसुदा भूमि है। जिसके खाता संख्या 76 है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काष्तसुदा भूमि खसरा संख्या 370/11 रकबा 3.1147 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 329 है तथा खसरा संख्या 370/11 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे खसरा संख्या 370/11 में से कदीमी रास्ता स्थित है, जो वक्त सेटलमेन्ट से मौके पर कायम व मौजूद है तथा बंदोबस्ती नक्शा में भी कदीमी रास्ता को डोटेड चिन्ह से अंकित किया हुआ है। उक्त कदीमी रास्ता खसरा संख्या 370/11 की उतर दिशा में स्थित खसरा संख्या 370/14, 370/9, 370/8, 370/7, 370/6, 369 व 369/1 से होकर आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाकर मिलता है तथा खसरा संख्या 370/11 की दक्षिणी दिशा में स्थित खसरा संख्या 370/15, 370/12 व 370/13 में भी जाता है तथा खसरा संख्या 369, 369/1, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/10, 370/14, 370/11, 370/15, 370/12 व 370/13 के खातेदार अपनी उपरोक्त खसरान की भूमि में काश्त कार्य हेतु आने-जाने के लिए उक्त कदीमी रास्ता का ही वक्त सेटलमेन्ट से उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 370/11 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

370/11 की भूमि में से लगभग 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 में आने-जाने हेतु कायम किया तथा प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 370/11 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे कायम किये गये रास्ते को ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 में आने-जाने हेतु उपयोग करती आ रही है। उक्त कायम किये गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्षा में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्षित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 370/11 के पूर्वी दिषा की माठ के सहारे-सहारे खसरा संख्या 370/11 में से कदीमी रास्ता आया हुआ है। जो वक्त सेटलमेन्ट से मौके पर कायम व मौजूद है तथा बंदोबस्ती नक्शा में भी कदीमी रास्ता को डोटेड चिन्ह से अंकित किया हुआ है। उक्त कदीमी रास्ता खसरा संख्या 370/11 की उतर दिशा में स्थित खसरा संख्या 370/14, 370/9, 370/8, 370/7, 370/6, 369 व 369/1 से होकर आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाकर मिलता है तथा खसरा संख्या 370/11 की दक्षिणी दिशा में स्थित खसरा संख्या 370/15, 370/12 व 370/13 में भी जाता है तथा खसरा संख्या 369, 369/1, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/10, 370/14, 370/11, 370/15, 370/12 व 370/13 के खातेदार अपनी उपरोक्त खसरान की भूमि में काश्त कार्य हेतु आने-जाने के लिए उक्त कदीमी रास्ता का ही वक्त सेटलमेन्ट से उपयोग करते आ रहे है। उक्त कदीमी रास्ता से प्रार्थी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित उसकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 में काष्त कार्य हेतु आने-जाने हेतु व कृशि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 370/11 की दक्षिणी माठ पर स्थित रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. का उपयोग करती है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता है त इसके अलावा और कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौके पर नही है तथा प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त मार्कसुदा वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता पर किसी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण भी नही है। भूमि खसरा संख्या 370/11 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 365/1 में पहुचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कोई अधिकार

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा संख्या 370/11 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज से 15-20 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को खुर्द बुर्द कर दिया व तारबन्दी कर बंद कर दिया, जिसके कारण प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 में आने-जाने हेतु काफी समस्याओं व परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थी को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 में काष्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृशि ही है। काष्त कार्य से वंचित होने के कारण प्राथी का जीवन निर्वाह करना भी मुष्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थी का खसरा संख्या 370/11 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता आत्यंतिक आवष्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध खसरा संख्या 370/11 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्षा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 370/11 रकबा 3.1147 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. 15 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर में प्रार्थी को काष्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 370/11 रकबा 3.1147 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि में पहुचता है, जिसको प्रार्थी हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काष्त कार्य के रूप में उपयोग में लेती है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोशित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेष अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या खसरा संख्या 370/11 रकबा 3.1147 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्षा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेष अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार बिलाड़ा को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 365/1 में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 370/11 रकबा 3.1147 हैक्टेयर के मार्कए.बी.सी.डी. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री डी.डी. रामावत अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 जिस कदर लिखा गया है, जो प्रार्थी का अभिकथन है. प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 जिस कदर लिखा गया है गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 370/11 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे इस खसरे में कतई कोई कदीमी रास्ता नही है, जिसकी पुष्टि लट्ठा ट्रेस नक्शा से बखूबी होती है. जिसमें आज दिनांक तक खसरा नम्बर 370 की मौके पर विधिवत् तरमीम नहीं हुई है तथा वर्तमान में अ०नलाईन नक्शे में इस खसरे के उपखसरा नम्बर दर्ज कर मनमाने ढंग से तरमीम दर्शायी गयी है, जिसमें न तो पक्षकारों को सूचित किया गया है न इस सम्बंध में सक्षम अधिकारी का आदेश ही प्रभावी है तथा न कानून में खेत से खेत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का कोई उपबन्ध ही मौजूद है। कानून में महज राजस्व रेकर्ड में दर्ज सरकारी रास्ते से प्रार्थी के खेत के मध्य यदि खातेदारी की भूमि है तो ऐसे खातेदारान को तलब किया जाकर विधिवत् रास्ता उपलब्ध करवाये जाने बाबत् उपबन्ध है, ऐसी दशा में राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रार्थी के खेत के मध्य स्थित खसरा नम्बर 370/14, 370/9, 370/8, 370/7, 370/6, 369, 369/1 के सभी खातेदारान को मौजूदा प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उन्हे पक्षकार बनाये बिना प्रार्थी के प्रकरण में प्रभावी आदेश जारी किया जाना संभव नही है। इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा इसी रास्ते की बिनाय पर दर्ज करवाया गया रास्ते का प्रकरण खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी ने जानबुझकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर बनावटी तथ्यों का समावेश कर अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में व उसके साथ संलग्न नक्शे में जिस भूमि को मार्क कर रास्ता दर्शाया है, उक्त भूमि अन्य खसरा नम्बर 370/6 से 370/9, 370/14, 370/11 के खातेदारान की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

खातेदारी भूमि है, जिसकी तरमीम के सम्बंध में भी विवाद है तथा मौजूदा तरमीम व मौके की स्थिति में बेजा विरोधाभाष है। ऐसी दशा में सभी खातेदारान/आवश्यक पक्षकारान को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर बाद सुनवाई ही मौजूदा प्रकरण में प्रभावी आदेश जारी किया जा सकता है। इसके अभाव में प्रकरण खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अपने काल्पनिक प्रकरण को सही साबित करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 2 के मार्फत कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रकरण में मौके से विपरित झूठी मौका रिपोर्ट पेश की, जिसमें उनके द्वारा आम रास्तों से वांछित रास्ते बाबत् जाँच नही की जाकर खेत से खेत के बीच में कथित रास्ता निराधार दर्शाया है, जो स्वीकार करने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 जिस कदर लिखा गया है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के स्वयं के अभिकथनानुसार भी उसके द्वारा दर्शाया गया वांछित रास्ता निकटतम उपलब्ध रास्ते में सुमार नही है। खसरा नम्बर 370 जो मूल खसरा है उसकी पूर्वी व पश्चिमी भुजाए दक्षिण की तरफ बढती है तथा उनके बीच की दूरी उत्तरोतर दक्षिण की तरफ आगे बढ़ने पर बढती जाती है। ऐसी दशा में खसरा नम्बर 370/14 से प्रार्थी के खेत की दूरी निश्चित रूप से प्रार्थी द्वारा अभिकथित वांछित रास्ते से कम है। इसके अलावा प्रार्थी के खेत के पश्चिम की तरफ भी आम रास्ता उपलब्ध है, जिसको भी प्रार्थी ने अपने अभिकथनों में छुपाया है, ऐसी दशा में हर हाल में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 जिस कदर लिखा गया है, गलत होने से अस्वीकार है। इसमें वर्णित तमाम तथ्य काल्पनिक है। मौके पर रास्ते का कोई अस्तित्व नहीं है न कथित रास्ता जो प्रार्थी ने अपने अभिकथनों में दर्शाया है वह रास्ता किसी आम रास्ते से मिलता ही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से काबिले निरस्त है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 जिस कदर लिखा गया है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6, 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 8 प्रार्थना प्रार्थी है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने, आवश्यक तथ्यों का लोप होने व आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाने व कानूनन पोषणीय नही होने से इस पद में वर्णित किसी भी अनुतोष को पाने का प्रार्थी हकदार नहीं है। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चे खारिज किये जाने का निवेदन किया।

यक कलक्टर
खण्ड अधिकारी
बिलाडा

अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की

प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 365/1 वाके ग्राम बीनावास में काश्त कार्य करने हेतु आने-जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 370/11 में वांछित रास्ता ही एक मात्र वैकल्पिक रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर व राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। वांछित रास्ता आगे खसरा संख्या 370/11 व अन्य खसरों 370/14, 370/9, 370/8, 370/7, 370/6, 369, 369/1 में चल रहे कदीमी रास्ता पर जाकर मिलता है तथा कदीमी रास्ता आगे खसरा संख्या 347 राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाकर मिलता है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर वक्त मौका निरीक्षण कोई कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की भूमि मे से निम्न प्रकार रकबा जायेगा। उक्त भूमि असिंचित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से बाहर है। जिसकी डीएलसी दर 200261 प्रति हैक्टेयर है।

क्रस	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा सं. व रकबा	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	वर्तमान डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर	डीएलसी दर की दुगुनी राशि
1.	भीखाराम पुत्र रामूराम जाति राईका	370/11 3.1147 हैक्टेयर	7.17 बिस्वा 0.0635 हैक्टेयर	200261 प्रति हैक्टेयर	25434/-

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 370/11 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 365/1 में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.08.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 21.06.2024 में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीया को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीया अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थीया उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ओर कथन किया कि खसरा संख्या 370/11 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे कोई कदीमी रास्ता नही है। भू अभिलेख निरीक्षक ने अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया है कि वांछित रास्ता आगे खसरा सं. 370/1 व अन्य खसरों 370/14, 370/9, 370/8, 370/7, 370/6, 369, 369/1 में चल रहे कदीमी रास्ता पर जाकर मिलता है तथा कदीमी रास्ता आगे खसरा संख्या 347 राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाकर मिलता है। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये। **न्यायिक दृष्टान्त सलीम बनाम हेमराज 2022 (2) आर.आर.टी. 1096 में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान**

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-धारा 251ए- एस.डी.ओ. ने 30 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थी सं. 1 को स्वीकार किया- अपील खारिज की - पटवारी ने मौका रिपोर्ट तैयार की- मौका रिपोर्ट तैयार करने को सक्षम व्यक्ति नहीं तथा उसके द्वारा तैयार रिपोर्ट अवैध है- भू अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न द्वारा रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है- रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस नहीं दिया- निर्णीत, आदेश अपास्त किये तथा प्रकरण निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त गिरधावरी बनाम सुल्तान 2017(1) आर.आर.टी. 423 में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955- धारा 251ए- प्रार्थी की आराजी से पूर्व तरफ से रास्ता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र किला सं. 5 व 6 के पूर्वी कोने पर एक पक्का कमरा मौजूद है- अन्य सुविधाजनक रास्ता मुरब्बा सं. 45 के किला सं. 1, 10, 11, 20 व 21 से स्वीकार किया जा सकता है- 8 एल एल से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और मुरब्बा सं. 48 से कृषक आ जा रहे है- सुविधाजनक रास्ते की आड में नया रास्ता नहीं बनाया जा सकता- निर्णीत, निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध है व निर्देशों के साथ अपास्त किये। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त दुर्गी बाई बनाम गीता बाई 2023 (2) आर.आर.टी. 1049 में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि- सिविल प्रक्रियां संहिता- आदेश 1, नियम 10- राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955- धारा 251ए - अप्रार्थीया सं. 1 ने रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया- प्रार्थना पत्र के विचाराधीन अप्रार्थीया सं. 1 ने कॉपरेटिव सोसायटी को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया- विचारण न्यायालय ने इसे स्वीकार किया- निगरानी तर्क की कॉपरेटिव सोसायटी अप्रार्थी सं. 6 प्रभावित पक्षकार नहीं है तथा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग और बिना कारण के है- आदेश विस्तृत नहीं है लेकिन सकारण प्रतीत होता है- कोपरेटिव सोसायटी खातेदार है व प्रभावित पक्षकार है - निर्णीत, निगरानी में सार नहीं है व खारीज की । अप्रार्थी सं. 1 के पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्त प्रार्थीया के हस्तगत प्रकरण पर हुबहु चस्पा नहीं होते है। प्रार्थीया के अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बिनावास, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 365/1 में प्रार्थीया को काश्तकार्य करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 370/11 के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 370/11 की पूर्वी माठ पर स्थित कदीमी रास्ता पर पहुचता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी खसरा संख्या 370/11 की पूर्वी माठ पर कदीमी रास्ता होना बताया है तथा प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

को सबसे नजदीकी एवं एकमात्र रास्ता होना बताया है तथा मौके पर वांछित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नही होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 370/11, 370/14, 370/9, 370/8, 370/7, 370/6, 369, 369/1 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे कदीमी रास्ता होना नही बताया है, जबकि तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.08.2024 के अनुसार मौके पर खसरा संख्या 370/11, 370/14, 370/9, 370/8, 370/7, 370/6, 369, 369/1 की पूर्वी माठ के सहारे-सहारे मौके पर कदीमी रास्ता मौजूद होना बताया है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिया गया तर्क मानने योग्य नही है। इस कारण प्रार्थीया को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक कापरडा के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 21.06.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या सं. 1 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। प्रार्थीया तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21.06.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 05/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा